कार्यकारी सारांश

ग्रामीण विकास विभाग

झारखण्ड में "प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण" के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

भारत सरकार ने "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)" का आरंभ (नवंबर 2016), सभी ग्रामीण बेघर परिवारों और कच्चे और जीर्ण-शीर्ण आवासों में रहने वाले परिवारों को मूलभूत सुविधाओं वाले पक्के आवास प्रदान करने और पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना (*आईएवाई*) की कमियों जैसे कि आवासों की कमी का आकलन न होना, लाभार्थियों के चुनाव में पारदर्शिता की कमी, बनाए गए आवासों की गुणवत्ता में कमी और तकनीकी पर्यवेक्षण की कमी, अभिसरण की कमी, लाभार्थियों द्वारा ऋण न लेना और निगरानी की कमजोर प्रणाली इत्यादि को दूर करने के लिए किया।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

योजना के तय लक्ष्यों को पाने में इसकी अहमियत और ग्रामीण लाभार्थियों पर इसके प्रभाव को देखते हुए, पीएमएवाई-जी (2019-24) का निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के दौरान किया गया। पीए का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या लाभार्थियों की पहचान, चयन और सत्यापन का तरीका पारदर्शी, पर्याप्त और पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देशों के अनुरुप था; क्या योजना का कार्यान्वयन जिसमें दूसरी योजनाओं के साथ अभिसरण भी शामिल है, दिशानिर्देशों के अनुरुप था; क्या योजना का वित्तीय प्रबंधन पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देशों और लागू होने वाले अन्य वित्तीय नियमों के अनुरुप था; और क्या योजना की निगरानी और मूल्यांकन का तरीका पर्याप्त तथा प्रभावशाली था। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उद्देश्य, विद्यमान कमियों को उजागर करना, उनके सुधार के लिए उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना और योजना के परिणामों को मजबूत बनाने के उपायों की सिफारिश करना है।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

पीएमएवाई-जी के योजना में कमी थी, क्योंकि सिस्टम द्वारा तैयार एसइसीसी.-प्राथमिकता सूची/स्थाई प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) को ग्राम सभाओं और जिला अपीलीय समितियों द्वारा ठीक से सत्यापित नहीं किया गया अथवा इसे ठीक से अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया था, जिससे 2.90 लाख ऐसे अपात्र लाभार्थी शामिल हो गए जिन्हें बाद में योजना के कार्यान्वयन के दौरान (2017-18 से 2023-24) ग्राम सभा द्वारा हटा दिया गया। खास बात यह है कि नमूना-जांचित छः जिलों में चयनित 60 ग्राम

पंचायतों (ग्रा.पं.) में कोई भी ग्राम पंचायत 2016-2024 के दौरान अंतिम/निर्णायक पीडब्ल्यूएल तैयार करने से संबंधित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाया। राज्य द्वारा नवंबर 2022 तक इस योजना के तहत 22.34 लाख योग्य परिवारों की पहचान की गई थी। हालांकि, एसईसीसी प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल में अशुद्धियां, राज्य द्वारा लक्ष्यों का उपयोग करने में असमर्थता और आवास+ लाभार्थियों को अंतिम रूप देने में दो साल के विलंब के कारण भारत सरकार द्वारा केवल 16.02 लाख आवासों का आवंटन किया गया। परिणामस्वरुप, 6.32 लाख योग्य परिवार (28 प्रतिशत) इस योजना में शामिल नहीं हो सके। इस सीमित किए गए लक्ष्य के तुलना में, राज्य द्वारा 2016-24 के दौरान 15,92,124 आवासों को स्वीकृति दी गई और जनवरी 2025 तक 15,62,249 आवास (98 प्रतिशत) बनाए गए। राज्य ने खनन या पट्टे वाले क्षेत्रों में रहने वाले पात्र व्यक्तियों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त राशि जारी करने के लिए विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार कर समर्पित नहीं किए। इसके अलावा, लाभार्थियों के चयन/आवासों की स्वीकृति के समय ग्राम पंचायत/प्रखंड/जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा जमीन की स्थिति का सत्यापन नहीं किया गया था। आवासों की स्वीकृति के लिए जमीन देने के बजाय, प्राथमिकता सूची/स्थाई प्रतीक्षा सूची से भूमिहीन लाभार्थियों को रिमांड करना/हटाना; दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित लाभार्थियों के अलग आँकड़े न रखना और 2019-24 के दौरान वार्षिक चयन सूची तैयार न करना भी लेखापरीक्षा में पाई गई।

(अध्याय 2)

अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण सहित योजना का कार्यान्वयन अपर्याप्त था। साथ ही, इसमें पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन की रूपरेखा (एफएफआइ) का अनुपालन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पीएमएवाई-जी को लागू करने में कई कमियां/खामियां देखी गईं, जैसे कि 2019-24 के दौरान नमूना-जांचित जिलों द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार न किया जाना, जिसके कारण आवासों को समय पर पूरा करने के लिए कोई प्रभावी योजना/रोडमैप नहीं बन पाना, नमूना-जांचित लाभार्थियों के पंजीकरण में कमियां, लक्ष्य की तुलना में कम आवासों को स्वीकृति देना जिससे लक्ष्य का पूरा न होना, निर्धारित 12 महीने के समय-सीमा के मुकाबले आवासों को पूरा करने में एक साल से लेकर तीन साल से ज़्यादा का विलंब, उन आवासों के लिए अगली किस्तें जारी करना जिनका 'निर्माण नहीं किया जाना है' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, गुणवत्ता वाले आवासों के निर्माण के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति की सुविधा न देना, लाभार्थियों को उपयुक्त आवास के डिज़ाइनों और संबंधित लागतों से परिचित करने के उद्देश्य से दो जिलों (पूर्वी सिंहभूम और राँची) को छोड़कर सभी जिलों में डेमो आवास बनाने की पहल का अभाव, क्षेत्रीय आवास टाइपोलॉजी को न अपनाना और लाभार्थियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी संस्थान की पहचान न

करना। इसके अलावा, हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए हरित डिज़ाइन को न अपनाने, राजमिस्त्रियों को अपर्याप्त प्रशिक्षण, आवासों के निर्माण में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए रियायती दरों पर ऋण की सुविधा न देने, अन्य राज्य/भारत सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से बनाए गए आवासों में बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, बिजली, पीने के पानी की सुविधाओं आदि की व्यवस्था में कमी, जियो टैगिंग में कमियां आदि भी लेखापरीक्षा में पाई गई। हालांकि झारखण्ड को दिसंबर 2018 में खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन जेपीवी (अगस्त 2024 से दिसंबर 2024) में लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए 48 प्रतिशत आवासों में शौचालय की सुविधा नहीं पाई गयी थी, जबकि राज्य पीएमयू (अप्रैल 2024) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके पीएमएवाई-जी आवासों में से आठ प्रतिशत में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

(अध्याय 3)

पीएमएवाई-जी के तहत वित्तीय प्रबंधन अपर्याप्त था। राज्य में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कुल खर्च ₹14,113.07 करोड़ (70 प्रतिशत) था, जबकि कुल उपलब्ध राशि ₹20,199.98 करोड़ थी, जिसमें 2019-24 के दौरान राशि का इस्तेमाल 55 से 83 प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष 2019-24 के दौरान केंद्र सरकार का हिस्सा एसएनए को हस्तांतरित करने में तय समय से तीन से 92 दिनों की विलंब लेखापरीक्षा में देखी गई। जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर ₹22.39 करोड़ का दंडात्मक ब्याज का दायित्व हुआ। 2019-24 के दौरान राज्य का संगत हिस्सा एसएनए को हस्तांतरित करने में भी आठ से 79 दिनों की विलंब हुई। इसके अलावा, वर्ष 2019-24 के दौरान ₹503.75 करोड़ के उपलब्ध प्रशासनिक निधि में से केवल ₹202.91 करोड़ (40 प्रतिशत) का ही इस्तेमाल किया गया, जिसका मुख्य कारण लाभार्थियों को सहायता सेवाएं न देना और राजमिस्त्रियों को दी जाने वाली प्रशिक्षण में कमी थी। अन्य कमियों में प्रशासनिक निधि का गलत खर्चों में इस्तेमाल, लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देने में देरी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मानव दिवस के सृजन में कमी, अपात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी करना, और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने में विलंब और संपरीक्षित लेखाओं में गलतियाँ शामिल हैं, जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निगरानी की कमी को दर्शाता है।

(अध्याय 4)

राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर पीएमयू द्वारा आवास योजनाओं की निगरानी, जिसमें पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के ढांचे के तहत अनिवार्य निरीक्षण भी शामिल है, प्रभावी नहीं थी। योजना के तहत परिकल्पित अपनी प्रमुख भूमिका के बावजूद ग्राम पंचायतों ने अपनी किसी भी निगरानी और निरीक्षण गतिविधियों के समर्थन में कोई अभिलेख नहीं रखा था।

2020-21 के दौरान 24 जिलों में से पांच (दुमका, गुमला, हजारीबाग, पलामू और साहिबगंज) के 77 ग्राम पंचायतों में पायलट आधार पर सामाजिक लेखापरीक्षा किया गया था। हालांकि, वर्ष 2022-24 के दौरान शेष ग्रा.प./प्रखंडों/जिलों में कोई सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप योजना कार्यान्वयन में अनियमितताओं/कमियों और लाभार्थियों को आवास बनाने में आने वाली दिक्कतों की समय पर पहचान/समाधान नहीं किया जा सका।

शिकायत निवारण और समुदाय आधारित निगरानी तंत्र जैसे प्रमुख निगरानी प्रणाली भी अनुपस्थित पाई गई।

(अध्याय 5)

अनुशंसाएँ

- *राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि भविष्य में योजना के तहत लाभार्थियों का चयन/प्राथमिकता देते समय पीएमएवाई-जी के एफएफआई में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाए।*
- *राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकती है कि शेष पात्र आवास+ लाभार्थियों को पक्के आवास उपलब्ध कराए जाएं।*
- *राज्य सरकार लाभार्थियों के चयन के समय भूमि के स्वामित्व के सत्यापन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित एवं लागू कर सकती है।*
- *राज्य सरकार 'निर्माण नहीं किए जाने वाले' के रूप में वर्गीकृत मकानों के लिए किस्तें जारी करने वाले जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई कर सकती है।*
- *राज्य सरकार पीएमएवाई-जी के एफएफआई के तहत अनिवार्य रूप से पूर्ण पीएमएवाई-जी आवासों में अभिसरण के माध्यम से सभी बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित कर सकती है।*
- *राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि प्रशासनिक निधियों के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देशों/निदेशों का ईमानदारी से पालन किया जाए।*
- *राज्य सरकार पीएमएवाई-जी के एफएफआई में परिकल्पित राज्य, जिला और प्रखंड परियोजना प्रबंधन इकाइयों में गुणवत्ता पर्यवेक्षण और योजना के कार्यान्वयन की निगरानी सुनिश्चित कर सकती है।*
- *राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि पीएमएवाई-जी के एफएफआई में परिकल्पित आवधिक सामाजिक लेखापरीक्षा की जाए।*
- *राज्य सरकार इस योजना के तहत परिकल्पित राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र स्थापित और चालू कर सकती है।*